

प्रमुख,

हिम प्रकाश गुप्त,
संयुक्त तालिम,
उत्तर प्रदेश शासन ।

संका में,

तालिम,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विद्या केन्द्र-2 तमसुयकेन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

विद्या 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 13 जून, 2003

विषय:- सौका पब्लिक स्कूल दिल्ली रोड, गवर्नरगा, जे०पी०नगर जो सी०बी०एस०की नईदिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक ।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय जो सी०बी०एस०की नईदिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उक्त राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सीतामढी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा०शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए नियुक्ति शुरू से अधिक शुरू नहीं किया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से मिली अनुदान की शर्तें नहीं की जायेंगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/संस्थित फार दि तमिषुपन स्कूल स्क्रीप्टेड प्रजापतिश नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों से संबन्धता प्राप्त होने की शर्त है उ०प्र०मा०शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः सहाय्य हो जायेंगे ।

—2—



- 151- संस्था वैशेषिक एवं विशेषतः कर्मचारियों को रखरखाव संबंधित प्राप्त विभिन्न सत्यापन एवं लेखा-परिणामों को अनुसंधान-प्रमाणित तथा अन्य अंतर्गत से कम बताने-सत्यापन तथा अन्य अंतर्गत नहीं दिये जायेंगे ।
- 161- कर्मचारियों की सेवा, इति-वर्षों-वर्षों और अन्य संबंधित प्राप्त अक्षरसही-उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसंधान संबंध-निष्पत्ति का तत्त्व उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर की श्री अक्षर-निर्णय को जायेंगे सत्यापन उनका पालन करेंगी ।
- 181- विद्यालय का रिपोर्ट निर्धारित प्रणाली/विधि-विधान में रखा जायेंगा ।
- 191- उक्त कर्तव्यों में राज्य सरकार के पूर्वनिर्धारित के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेंगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर पाया-जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पूर्ण एवं निष्पक्षिता करती नही रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुसंधान प्रमाण पर जायेंगे ।

स्वीकृत
वि. प्रकाश गुप्त
संयुक्त तत्त्व ।

पृष्ठ- 1800

111/15-7-नवम्बर-1980

प्रतिनिधि निम्नलिखित का सुचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- माध्यमिक संयुक्त शिक्षा निदेशक, गुरुदादाबाद ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, केपी० नगर ।
- 4- निरीक्षक, अक्षर भारतीय विद्यालय 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रधान, नौका पाठशाला लखनऊ दिल्ली रोड, लखनऊ, केपी० नगर ।
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

आज्ञा है,

वि. प्रकाश गुप्त
संयुक्त तत्त्व ।

